भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S1177/09-06-002/2025-26 01 जनवरी, 2026

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित)
ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण पर कार्यक्रम
16 से 17 फरवरी, 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे 16 से 17 फरवरी, 2026 के दौरान सीएबी परिसर, पुणे में "फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण पर कार्यक्रम" आयोजित कर रहा है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य: कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित है-

- कृषि हानियों को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में कटाई-पश्चात प्रबंधन अवसंरचना के महत्व की समझ विकसित करना।
- भंडारण, रसद और प्रसंस्करण सुविधाओं जैसी कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के बारे में जानकारी हासील करना।
- कटाई-पश्चात अवसंरचना में निवेश के मूल्यांकन और संरचना के लिए वित्तीय मॉडल और उपकरण सीखना।
- बैंकिंग पोर्टफोलियो के अंतर्गत कटाई-पश्चात अवसंरचना के वित्तपोषण का समर्थन करने हेतु रणनीतियों पर पहुँचने के लिए समझ विकसित करना।

3. स्थान और आवास

कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 15 फरवरी, 2026 की संध्या को सीएबी मे रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन पर प्रस्थान कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि, ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

4. पाठ्यक्रम सामग्री: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध I में दी गई है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA
Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए अपने बैंक से कृषि वित्त से संबंधित उपयुक्त अधिकारियों को नामित करें। नामांकन **06 फरवरी, 2026** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। भागीदारी शुल्क का विवरण अनुबंध II में दिया गया है । कृपया ध्यान दें कि नामांकन First-Come-First-Served (FCFS) के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।

6. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील – 9503779432 या श्रीमती साधवी भाटिया – 9834023900) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से **nomination.ami@rbi.org.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

IMPORTANT DATES	
कार्यक्रम तिथियां	16 से 17 फरवरी, 2026
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	06 फरवरी, 2026
CAB में रिपोर्टिंग	15 फरवरी, 2026, शाम को
कार्यक्रम का समय	सुबह 09:45 से शाम 05:30 बजे तक
कार्यक्रम का समापन	17 फरवरी, 2026 को शाम 05.30 बजे

सादर

(सचिन कांबले)
उप महाप्रबंधक
कार्यक्रम निदेशक
Contact: 8108331115
Email ID- sachinkamble@rbi.org.in

Encl.: As above

अनुबंध I

Broad Course Content

Module 1: Overview of Post-Harvest Management Infrastructure in India

- Components of post-harvest management: Warehousing, cold storage, transportation, and processing units.
- Status of PHM Infra in India and issues and challenges
- Government initiatives to promote PHM
- Economic and social impact of post-harvest infrastructure on agricultural value chains.
- Discussion: Identifying key post-harvest gaps.

Module 2: Post-Harvest Infrastructure Financing

- Overview of PHM infrastructure needs and gaps for various sectors and geographies
- Financing needs: Capital expenditure, working capital, and maintenance costs - Tools for project appraisal: ROI, NPV, IRR analysis, etc.
- Financing of the PHM infra – Capital and recurring capital needs, assessment of technical and financial viability of logistics, primary and secondary processing projects

Module 3: Stakeholders' role in the PHM infra and convergence

- Structuring financing models: Public-private partnerships, lease financing, and equity investments.
- Role of collectives and value chain financing approach.
- Lessons learned and replicable models for financial institutions.
- Group discussion: Key takeaways from case studies and potential adaptations for participants' banks, arriving at a bank-specific strategy to finance post-harvest infrastructure.

अनुबंध II

फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण पर कार्यक्रम

16 से 17 फरवरी, 2026

Fee Structure

Group		Fees per participant	18% GST	Total fees to be paid per participant (including GST)
Commercial Banks and Financial Institutions	Residential	₹ 12,100	₹ 2,178	₹ 14,278
	Non-residential	₹ 8,000	₹ 1,440	₹ 9,440
Scheduled UCBs, Non-Scheduled UCBs with deposit base of more than Rs.100 crore, RRBs, Local Area Banks, State Cooperative Banks and NBFCs	Residential	₹ 9,100	₹ 1,638	₹ 10,738
	Non-residential	₹ 6,000	₹ 1,080	₹ 7,080
Non-Scheduled UCBs with deposit base of less than Rs.100 crore, Small Finance Banks, Payment Banks, Government Departments, DCCBs, NGOs, State Level FIs, Non-NBFC MFIs and Certified Credit Counsellors	Residential	₹ 6,100	₹ 1,098	₹ 7,198
	Non-residential	₹ 4,000	₹ 720	₹ 4,720

Please use the programme code AMI-16022026 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.

In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should therefore not deduct TDS on the Programme Fees.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।